

—पांच—

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5
संख्या क0सं0वि0-5-3706/11-98-500 (20)-98
लखनऊ, दिनांक 31 अगस्त, 1998
अधिसूचना
आदेश

प0आ0-523

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या के0एस0वी0 - 5 - 1479/11-98-500 (20)/98, दिनांक 22 अप्रैल, 1998 का अतिक्रमण करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, स्तम्भ-1 में उल्लिखित उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची 1 बी के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में प्रत्येक के सामने उल्लिखित धनराशि के सम्बन्ध में देय स्टाम्प शुल्क को क्रमशः बन्ध-पत्र और हस्तान्तरण-पत्र के सम्बन्ध में स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक कम करते हैं :-

अनुसूची

लिखत 1	धनराशि 2	कमी की सीमा 3
(क) अनुच्छेद 15 के अधीन बन्ध-पत्र	1000/- रुपये से अधिक न हो। और 1000/- रुपये से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 1000/- रुपये या उसके भाग के लिये।	सत्तर रुपये से चालीस रुपये
(ख) अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण	(क) यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति से संबंधित है जहां ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य या उस सम्पत्ति का जो ऐसे हस्तान्तरण की विषयवस्तु है, बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, 500/- रुपये से अधिक न हो। जहाँ यह 500/- रुपये से अधिक किन्तु 1000/- रुपये से अधिक न हो। और 1000/- रुपये से अधिक प्रत्येक 1000/- रुपये या उसके भाग के लिये।	साठ रुपये से चालीस रुपये एक सौ पच्चीस रुपये से अस्सी रुपये एक सौ पच्चीस रुपये से अस्सी रुपये

परन्तु यह कि यह अधिसूचना उपर्युक्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की अनुसूची 1-बी में दिये गये बन्ध-पत्र और हस्तान्तरण पत्र के लिखत से भिन्न किसी लिखत के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा और उक्त अन्य लिखत के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की देयता के लिये अनुच्छेद 15 या 23 के खण्ड (क) के सन्दर्भ का अर्थ इस अधिसूचना के पूर्व देय स्टाम्प शुल्क के सन्दर्भ में लगाया जायेगा।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
हरीश चन्द्र गुप्त,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. K.S.V.-5-3706/XI-98-500(20)-98, dated August 31, 1998 for general information :

No. K.S.V.-5-3706/XI-98-500(20)-98
Dated Lucknow, August 31, 1998

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. II of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), supersession of Government notification no, K.S.V.-5-1497/11-98-500(20)/98. dated 22-4-1998, the Governor is pleased to reduce with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the stamp duty to the extent mentioned in column 3 in respect of the Bond and Conveyance respectively payable under Article 15 and clause (a) of Article 23 of schedule 1-B of the aforesaid Act mentioned in Column-I in relation to the amount mentioned against each in column-2 of the Schedule below :

SCHEDULE

Instrument	Amount	Extent of Reducion
1	2	3
(a) Bond under Article 15	where it exceeds Rs. 100/- but does not exceed Rs. 1,000/- and for every additional Rs. 1000/- or part thereof in excess of Rs. 1,000.	From seventy rupees to forty rupees From seventy rupees to forty rupees.
(b) Conveyance under Clause (a) of Article 23	(a) if relating to immovable property where the amount or value of the consideration of such conveyance as set forth therein or the market value of the immovable property which is the subject of such conveyance, whichever is greater does not exceed Rs. 500/- where it exceeds Rs 500/- but does not exceed Rs. 1000/-	From sixty rupees to forty rupees. From one hundred and twenty five rupees to eighty rupees.

and for every Rs. 1000/- or part there of in
excess of Rs. 1000/-

From one hundred and twenty
five rupees to eighty rupees.

Provided that this notification shall not apply with respect to any instrument other than the instrument of bond and conveyance given in the Schedule 1-B of the aforesaid Act no. 11 of 1899 and the reference of Article 15 or clause (a) of Article 23 for payability of stamp duty in relation to the said other instrument shall be construed the reference to the stamp duty payable prior to this notification.

By order,
Sd/- Illegible
H.C. GUPTA,
Pramukh Sachiv.